

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा-राजस्थान

क्रमांक : स्था0/23/ 46

दिनांक : 01.12.2023

कार्यालय आदेश

मैं डॉ. महेन्द्र सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि माह दिसम्बर 2023 में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।


माह दिसम्बर, 2023

क्र. सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1	03.12.2023 रविवार	सुश्री ललिता सोनी, जे.एम. गढ़ी	श्री जयेश रीडर 9413018180
2	09.12.2023 द्वितीय शनिवार 10.12.2023 रविवार	श्री यशवंत आमेरिया ए.सी.जे.एम. कुशलगढ	श्री रकमचन्द रीडर 91669 00205
3	17.12.2023 रविवार	श्रीमती नीलम नाहर जे.एम. बाँसवाड़ा	श्रीमती सविता रीडर 9462330542

दिनांक 23.12.2023 चतुर्थ शनिवार, दिनांक 24.12.2023 रविवार, शीतकालीन अवकाश वर्ष 2023 (दिनांक 25.12.2022 से 31.12.2022) एवं दिनांक 01.01.2024 नूतन वर्ष अवकाशों के संबंध में कार्य व्यवस्था/रिमाण्ड ड्यूटी व अन्य आवश्यक कार्यों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा के द्वारा पृथक् से आदेश पारित किये जायेंगे।

नोट:-

- रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा ट्रेनिंग आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर अथवा किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)